कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, जिला कोण्डागाँव (छ.ग.)
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल सोसायटी कोनगुड़, विकासखण्ड फरसगांव, जिला–कोण्डागाँव

//आदेश//

क्रमांक/1204/स्वा.आ.शास.अं.वि./स्था./भर्ती/2022–23 कोण्डागाँव, दिनांक 17/02/2023

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 23–08/2020/20–दो/45 अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2022 के तहत नवीन संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल सोसायटी कोनगुड़ विकासखण्ड–फरसगांव ,जिला–कोण्डागाँव (छ.ग.) मे नवीन पद संरचना (संविदा) के अंतर्गत पद की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप माह अगस्त 2022 तथा नवम्बर 2022 में वॉक इन इन्टरव्यू आयोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल संचालन समिति कोनगुड़ द्वारा नियमानुसार चयनित कर निम्नांकित आवेदक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन 30.04.2023 तक के लिये पदानुरूप निर्धारित प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय पर अस्थायी रूप से निम्नांकित शर्तो के अधीन संविदा पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	विषय	पद वर्ग	मानदेय
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री तोपेन्द वर्मा	श्री राकेश्वर वर्मा	शिक्षक	गणित	अना.	35400/–
02	श्री पंकज वर्मा	श्री रामकुमार वर्मा	सहायक शिक्षक	अंग्रेजी	अना.	25300/–

(कलेक्टर एवं अध्यक्ष, संचालन प्रबंधन समिति महोदय द्वारा अनुमोदित)

टीप:– कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि **28/02/2023** है।

शर्ते:–

1. संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई हैं। शासन द्वारा यदि उक्त शाला में उक्त पद पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, अथवा चयनित कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य व्यवहार संतोषजनक न होने के की स्थिति में किसी भी समय समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
2. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा।
3. संविदा नियुक्ति 30.04.2023 तक के लिये होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा, तथा कार्य मूल्यांकन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति अवधि में पुनः वृद्धि किये जाने पर विचार किया जावेगा। इस संबंध में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल सोसायटी संचालन समिति कोनगुड़, द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
4. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे। गंभीर कदाचरण पाये जाने पर यथा समय नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
5. संवदिा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन उपदान एवं मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ0ग0शासन सामान्य प्रशासन विभाग संविदा नियुक्ति नियम 2012 में दिये गये नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश की पात्रता पूर्ण महीनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी।
7. कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।यदि कर्मचारी को शारीरिक/मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वमेव ही निरस्त हो जायेगा।
8. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह पूर्व सूचना या उसके एवज मे तीन माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह संविदा मे नियुक्त कर्मचारी के लिए बंधनकारी होगा।
10. चयनित उम्मीदवार का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा उस पद की आवश्यकता न होने पर उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकेंगी।
11. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
12. यह पद संविदा का है, भविष्य में नियमितिकरण संबंधित कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
13. आदेश जारी दिनांक से **28/02/2023 शाम 05.00** बजे तक स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल केशकाल विकासखण्ड–केशकाल जिला–कोण्डागाँव में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा,अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।अनुपस्थिति होने की दशा में प्रतीक्षा सूची में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
14. संबंधित कर्मचारी के कार्य एवं विवाद की स्थिति में स्वामी आत्मानन्द शासकीय अंग्रेजी विद्यालय संचालन समिति, कोनगुड़ विकासखण्ड–फरसगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
15. आदेशित शिक्षकों को आवश्यकतानुसार अध्यापन के वैकल्पिक विधियों(यथा ऑन लाईन क्लास,मोहल्ला क्लास आदि) के द्वारा भी अध्यापन कार्य करना होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा–मूल्यांकन,शालेय गतिविधियाँ तथा समिति द्वारा सौपे जाने वाले दायित्वों का निर्वहन करना होगा। इस हेतु अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।

Scanned with OKEN Scanner

16. स्वामी आत्मानंद विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक एक ही ईकाई के रुप में संचालित है। अतः प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को उनकी अकादमिक अभिलेख में उल्लेखित विषय पद से उच्चतर अथवा निम्नतर कक्षाओं में भी अध्यापन कार्य किये जाने हेतु नियोजित किया जा सकता है। जिसे मानना बंधनकारी होगा।

17. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में अपील का कोई प्रावधान नही है, अतः संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसकी संविदा नियुक्ति समाप्त किये जाने अथवा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि न किये जाने पर यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
एवं पदेन सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद संचालन एवं प्रबंधन समिति
जिला–कोण्डागाँव (छ0ग0)
कोण्डागाँव, दिनांक 14/02/2023

पृ0क्रमांक/1205/स्वा.आ.अं.मा./स्था./भर्ती/2022–23

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला– कोण्डागाँव को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कोण्डागाँव को सादर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागाँव को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. सर्व प्रबंधन संचालन समिति,स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल कोनगुड़, जिला– कोण्डागाँव को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल कोनगुड़, वि.खण्ड फरसगांव जिला– कोण्डागाँव को सूचित कर लेख है कि संबंधित का कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रो की पूर्णतः जांच कर लेवें एवं पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण करायें एवं पालन प्रतिवेदन भेजें। किसी प्रकार की शंका होने पर मूल प्रमाण पत्रों सहित इस कार्यालय को अविलम्ब भेजें एवं संबंधित को कार्यभार ग्रहण न करायें।
10. स्थापना– सेजेस प्रभारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागाँव को सूचनार्थ।
11. संबंधित कुमारी /श्री /श्रीमती .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप संबंधित पदांकन संस्था में उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेखों के साथ मूल प्रति अवलोकन हेतु संबंधित प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करें। एवं पदांकित संस्था में नियत तिथि....... 28/02/2023 तक कार्यभार ग्रहण करें।

जिला शिक्षा अधिकारी,
एवं पदेन सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद संचालन एवं प्रबंधन समिति
जिला–कोण्डागाँव (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner